क्रम-संख्या–234

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024

पौष 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 503/79-वि-1–2024-1-क-27-2024
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन), विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 14 नवम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2 के खण्ड (कक) में उप खण्ड (तीन) के पश्चात निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(चार) अन्य राज्यों के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी अथवा सार्वजनिक न्यास अथवा किसी कम्पनी से है;''

धारा 7 (क) का संशोधन

3—मूल अधिनियम में, धारा 7 (क) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

''परन्तु यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करते हुए विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्था, राज्य में 'परिसर' स्थापित कर सकेगी। विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्था द्वारा ऊपर उल्लिखित विनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।''

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

4—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीनकृत प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

5—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

भारत में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो अन्य राज्यों के विभिन्न अधिनियमों के अधीन सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शैक्षणिक संस्थाएं चलाती हैं। राज्य के जनसाधारण को ऐसी संस्थाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों की प्रसुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 देश में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं द्वारा परिसर की स्थापना करने का उपबंध करता है। राज्य में भी विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को परिसर स्थापित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत ऐसी संस्थायें जो अन्य राज्यों में सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं को राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर प्रदान करने हेतु और राज्य में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का परिसर स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 और धारा 7 (क) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वाक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———————

No. 503 (2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-27-2024
Dated Lucknow, December 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Saatwaan Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Uchch Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SEVENTH AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 20 OF 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th day of November, 2024.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (aa) of section 2, *after* sub-clause (iii), the following sub-clause shall be *inserted*, namely:-

"(iv) a society or public trust or company registered under an Act of other States."

Amendment of section 7(A)

3. In the principal Act, in section 7(A), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :

"Provided that, acting under the provisions of the University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023, the foreign higher educational institution may establish 'campus' in the State. The provisions of the above mentioned regulations shall be complied with by the foreign higher educational institution."

Power to remove difficulties

4. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in respect of the provisions made by this Act, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and Saving

5. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Ninth Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 18 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

There are many such institutions in India which are registered as societies/trusts/companies under various Acts of other States and operate schools/colleges/other educational institutions while working in the field of education. There is a need to provide the benefits of educational achievements of such institutions to the general public of the State.

The University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023 provides for the establishment of campuses by foreign higher educational institutions in the country. A need has also arisen to grant permission to foreign higher educational institutions to establish campuses in the State.

In view of the above, it was decided to amend section 2 and section 7 (A) of the aforesaid Act to provide opportunity to such institutions which are registered as Society/Trust/Company in other States to establish Private Universities in the State and to grant permission to foreign higher educational institutions to set up campuses in the State.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Ninth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 18 of 2024) was promulgated by the Governor on November 14, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 398 राजपत्र–2024–(1081)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 177 सा0 विधायी–2024–(1082)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

398 RPH 2024(Adhiniyam) Data1e